In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1.Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi -Chairman; 2.Deputy Director Administration, Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi -Member; 3.Deputy Director looking after the administrative work of Kalawati Saran Children's Hospital in Directorate General of Health Services - Member.	Not applicable.

[F.A.12018/11/2017-MH-II]

G.P. SAMANTA, Under Secy.

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 15.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, (वर्ग- III अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1968 को जहां तक उसका संबंध मूर्तिकार ग्रेड-I और मूर्तिकार ग्रेड-II के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में, मूर्तिकार ग्रेड- I और मूर्तिकार ग्रेड- II, के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मूर्तिकार ग्रेड- I और मूर्तिकार ग्रेड-II (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना : इन नियमों के उपाबंध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, **वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के उपबंध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, **आयु सीमा और अहर्ताएं आदि .**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति .— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों के अभ्यर्थियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. मूर्तिकार ग्रेड- I	3 (2020)* (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनतुसचिवीय	स्तर - 5 (रु. 29200-92300)	अचयन	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों की आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि ,यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स (रू. 25500-81100) के स्तर-4 में मूर्तिकार ग्रेड II जिन्होंने इस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा गढ़न में दो से चार हफ्तों की अवधि की सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। टिप्पण: टिप्पण: जहां भी अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर लेने वाले कनिष्ठों का चयन प्रोन्नति के लिए किया जाता है, वहां उन वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा जिनकी आवश्यक अर्हता अथवा पात्रता सेवाकाल ऐसी अर्हता अथवा पात्रता सेवाकाल से कम न हो अथवा दो वर्ष हो, जो भी कम हो और उन्होंने अपने कनिष्ठों, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हता अथवा पात्रता सेवाकाल पूरा कर लिया है, के साथ-साथ अगले अन्य ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलता पूर्वक पूरा किया हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति: (1) अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(2) संयुक्त महानिदेशक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य (3) निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य (4) उप निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. मूर्तिकार ग्रेड-II	11* (2020) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-4 (रू.25500-81100)	लागू नहीं	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिलनीय) **टिप्पण:-** आयु सीमा को अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी।

(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड से कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण; (ii) मूर्तिकला में डिप्लोमा अथवा मूर्तिकला विषय के साथ ललित कला में डिप्लोमा टिप्पण : अन्यथा अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की दशा में, अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।	लागू नहीं	दो वर्ष

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: पदाधिकारियों के प्रतिनियुक्ति पर होने या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तयों को केंद्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है। (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो; अथवा (ii) मूल काडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रु. 21700-69100) के स्तर-3 में पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; (iii) मूल काडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स(रु. 19900-63200) के स्तर-2 के पद पर आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए निहित अर्हताएं और अनुभव रखता हो।	लागू नहीं

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति: 1. संयुक्त महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - अध्यक्ष 2. निदेशक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य 3. उप निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 3-4/2019-योजना एवं एचआरडी (आरआर)]

पी.जी. कलाधरन, निदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

New Delhi, the 22nd January, 2020

G.S.R. 15.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Archaeological Survey of India (Class III – Non-Gazetted posts) Recruitment Rules, 1968, in so far they relate to the posts of Modeller Grade I and Modeller Grade II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Modeller Grade I and Modeller Grade II in the Archaeological Survey of India, Ministry of Culture, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India, Modeller Grade I and Modeller Grade II, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of said posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**— No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Modeller Grade -I	3*(2020) (*Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted Non-Ministerial.	Level-5 (Rs.29200-92300)

Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Non-selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Nil	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)
Promotion: Modeller Grade II in level-4 of the pay matrix (Rs.25500-81100) with five years regular service in the grade and having successfully undergone in-service training of a duration of two to four weeks in moulding. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- (1) Additional Director General Archaeological Survey of India - Chairman (2) Joint Director General (Archaeology), Archaeological Survey of India - Member (3) Director (Administration), Archaeological Survey of India - Member (4) Deputy Director (Administration), Archaeological Survey of India - Member	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Modeller Grade -II	11*(2020) (*Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 (Rs.25500-81100)

(5)	(6)	(7)
Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	**Essential:** (i) 10+2 pass from a recognised Board; (ii) Diploma in Sculpture or Diploma in Fine Arts with Sculpture as a subject. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a period of one year or more may be filled on deputation from officers of Central Government; (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; (ii) with five years regular service in posts in level-3 of the pay

		matrix (Rs.21700-69100) in the parent cadre or department; (iii) with eight years regular service in post level-2 of the pay matrix (Rs.19900-63200) in the parent cadre and department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).

(11)
Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of :- (1) Joint Director General Archaeological Survey of India - Chairman (2) Director (Archaeology), Archaeological Survey of India - Member (3) Deputy Director (Administration), Archaeological Survey of India - Member	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No. 3-4/2019-Plg & HRD (RR)]

P.G. KALADHARAN, Director (Administration)

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

(भारत मौसम विज्ञान विभाग)

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2020

सा.का.नि.16.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत मौसम विज्ञान विभाग(प्रशासनिक कैडर समूह 'ख') भर्ती नियम,2000 का अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भारत मौसम विज्ञान विभाग में प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी- III के पद की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख.—**

(1) इन नियमों को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी- III भर्ती नियम 2019 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर स्तंभ (2) से (4) में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और योग्यताएँ आदि.—**

इस पद से संबंधित भर्ती की पद्धति,आयु-सीमा, योग्यताएँ और अन्य विषय अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. अनर्हता.— कोई भी ऐसा व्यक्ति-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया है या अनुबंध किया है जिसका पति अथवा जिसकी पत्नी जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।